

सं. ए-12026/2/2005-प्रशा.2

भारत सरकार
योजना आयोग

योजना भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली, जुलाई, 2005

सेवा में,

20

केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।

विषय : योजना आयोग में प्रतिनियुक्ति/पदोन्नति के आधार पर वरिष्ठ अनुसंधान सहायक (समाजशास्त्र) [पुनर्पदानामित आर्थिक अधिकारी (समाजशास्त्र)] के दो पदों पर मर्ती ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि योजना आयोग 6500-200-10500 रु के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति/पदोन्नति के आधार पर वरिष्ठ अनुसंधान सहायक (समाजशास्त्र) [पुनर्पदानामित आर्थिक अधिकारी (समाजशास्त्र)] के दो पदों को भरने का प्रस्ताव करता है तथा इच्छुक पात्र अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित करता है। उक्त पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं, अनुभव तथा अन्य पात्रता शर्तें, प्रतिनियुक्ति की अवधि इत्यादि से संबंधित ब्यौरे संलग्नक में दिए गए हैं।

2. केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इस रिक्ति को अपने नियन्त्रण में तथा उनसे संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत सभी कर्मचारियों के नोटिस में लाएं तथा जो पात्र, इच्छुक और घयन होने की स्थिति में, जिन्हें कार्य-भार मुक्त किया जा सके, उनके आवेदन पत्र अग्रपिहित कर दिए जाएं। आवेदन पत्र संलग्न प्रोफार्मा में (दो प्रतियों में) आवेदक द्वारा विधिवत् रूप से हस्ताक्षरित तथा कार्यालयाध्यक्ष अथवा हस्ताक्षर करने के लिए उनकी ओर से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाणीकृत होनी चाहिए। पात्र अभ्यर्थियों के आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी होने चाहिए:-

(क) विशिष्ट अनापत्ति/संवर्ग अनुमति

(ख) संबंधित आवेदक का अद्यतन गोपनीय रिपोर्ट डोजियर अथवा पिछले पांच वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की फोटो प्रतियां जो अवर सचिव अथवा इससे उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से अनुप्रमाणित हो ;

(ग) संलग्न प्रपत्र में सतर्कता निकासी यह दर्शाते हुए कि संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कोई अनुशासनिक/आपराधिक कार्रवाई न तो लम्बित है/और न ही अवेक्षित है ;




(घ) संलग्न प्रपत्र में उप-सचिव अथवा इससे उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र ;

(ङ) पिछले दस वर्षों के दौरान आवेदक पर लगाए गए मुख्य/लघु दण्डों के ब्यौरे, यदि कोई हो तो अथवा संलग्न प्रपत्र में 'दण्ड नहीं प्रमाण पत्र', जो भी लागू हो ।

3. इस रिक्ति को रोजगार समाचार में प्रकाशित किया जा रहा है । योजना आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में इसके प्रकाशन की तारीख से 60 दिन की होगी पात्रता निर्धारण की निर्णायक तिथि आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि होगी । सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित अंतिम तिथि को अथवा उससे पूर्व अवर सचिव (प्रशा-1) योजना आयोग, कमरा सं0 516, योजना भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001 को भेज दिए जाए । अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों अथवा जो निर्धारित प्रपत्र में न हो अथवा जो अधूरा हो अथवा अंतिम तिथि से पहले उचित माध्यम से प्राप्त न होने वाले अग्रिम आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

4. जिन्होंने योजना आयोग के दिनांक 5.9.2003 के परिपत्र सं0 ए-12026/5/2003-प्रशा-2 के प्रत्युत्तर में आवेदन कर रखा है, यदि वे अभी भी इच्छुक हैं, तो कृपया पुनः आवेदन करें ।

भवदीय,




(के0के0 छाबड़ा)

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रति प्रेषित:

1. योजना आयोग में मानक वितरण
2. समाज कल्याण एवं पिछड़ा वर्ग प्रभाग, योजना आयोग ।



(के0के0 छाबड़ा)

अवर सचिव, भारत सरकार

योजना आयोग में वरिष्ठ अनुसंधान सहायक (समाजशास्त्र) [पुनर्पदनामित आर्थिक अधिकारी (समाजशास्त्र)] के पद से संबंधित पात्रता शर्तों इत्यादि के बारे

1.	पदनाम	वरिष्ठ अनुसंधान सहायक (समाजशास्त्र) [पुनर्पदनामित आर्थिक अधिकारी (समाजशास्त्र)]
2.	पदों की संख्या	2 (दो)
3.	वेतनमान	6500-200-10,500 रु०
4.	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह "ख" राजपत्रित पद गैर-मंत्रालयी
5.	प्रतिनियुक्ति की अवधि	केन्द्र सरकार के इसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
6.	पात्रता शर्तें	<p>केन्द्र सरकार के अधिकारी जो:-</p> <p>(क) (i) मूल संवर्ग/विभाग के नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों ; अथवा</p> <p>(ii) मूल संवर्ग/विभाग में 5500-150-9000 रुपये के वेतनमान में नियुक्ति के बाद ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा अथवा समकक्ष ;</p> <p>(iii) मूल संवर्ग/विभाग में 5000-8000 रुपये के वेतनमान में नियुक्ति के बाद ग्रेड में छः वर्ष की नियमित सेवा सहित; और</p> <p>(ख) नीचे कालम 7 में यथा इंगित शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव रखते हों।</p> <p>नोट: विभागीय अनुसंधान सहायक (समाजशास्त्र), जिन्होंने 5000-8000 रुपये के वेतनमान में ग्रेड में छः वर्ष की नियमित सेवा की है, पर भी बाहरी उम्मीदवारों के साथ-साथ विचार किया जायेगा। यदि वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए चुन लिया जाता है, तो उसे पदोन्नति द्वारा भरा हुआ समझा जाएगा।</p>

		<p>फीडर वर्ग में ऐसे विभागीय अधिकारी, जो पदोन्नति की सीधी लाइन में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी तरह बाहरी उम्मीदवार पदोन्नति से नियुक्ति हेतु विचार के पात्र नहीं होंगे।</p>
7.	शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव	<p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र/समाजकार्य/मू-विज्ञान/मनोविज्ञान/अर्थशास्त्र/सांख्यिकी में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा समकक्ष; और</p> <p>(ii) अध्ययन, जांच तथा विकास योजनाओं के विश्लेषण से संबंधित कार्यों में दो वर्ष का अनुभव।</p>
8.	अधिकतम आयु सीमा	<p>प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक न हो।</p>

प्रपत्र

वरिष्ठ अनुसंधान सहायक (समाजशास्त्र) [पुनर्पदनामित आर्थिक अधिकारी (समाजशास्त्र)] के पद हेतु आवेदन

1.	नाम				
2.	जन्म तिथि				
3.	अधिकारी पर लागू नियमों के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तारीख				
4.	(क) यदि वह किसी संगठित सेवा से संबंधित हैं तो उसका नाम (ख) सेवानिवृत्त प्राधिकरण का नाम				
5.	शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव :				
	निर्धारित अर्हताएं एवं अनुभव	अधिकारी द्वारा धारित अर्हताएं एवं अनुभव जो 'निर्धारित अर्हता' के समकक्ष अथवा उससे उच्च हों।			
	अनिवार्य (1) (2)				
	टिप्पणी : यदि अधिकारी द्वारा धारित कोई शैक्षिक अर्हता निर्धारित शैक्षिक अर्हता के समतुल्य है तो, कृपया उस प्राधिकरण का उल्लेख करें।				
6.	कर्मचारी द्वारा लिया गया प्रशिक्षण, यदि कोई हो, जो आवेदित पद के संगत है :				
	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	अवधि से तक	संगठन जहाँ से प्रशिक्षण लिया गया	लिए गए प्रशिक्षण की प्रकृति	अभ्युक्तियां

7.	(i) वर्तमान धारित पद (ii) पूर्ण वेतनमान (iii) वर्तमान वेतन (iv) क्या पद नियमित अथवा तदर्थ आधार अथवा प्रतिनियुक्ति आधार पर है (v) किस तारीख से पद पर है (एसीपी के अंतर्गत दिए गए किसी भी वित्तीय अपग्रेडेशन का विशिष्ट रूप से उल्लेख करें)				
8.	यदि वर्तमान धारित पद नियमित आधार पर नहीं है : (क) नियमित आधार पर धारित पद (ख) वेतनमान (ग) किस तारीख से नियमित आधार पर है				
9.	मूल रूप से धारित पद यदि कोई हो :				
10.	क्या वर्तमान पद डीओपी एवं ए. आर. कार्यालय ज्ञापन सं. 19017/27/76-स्था. (घ) पार्ट दिनांक 7.3.1984 के संदर्भ में सदृश पद है।				
11.	सेवा के ब्यौरे (फालानुक्रम में नवीनतम पहले)				
	पदनाम	नियोजकता	अवधि से तक	वेतनमान	कार्यों की प्रकृति
12.	(i) पिन कोड संख्या सहित वर्तमान डाक पता (ii) दूरभाष सं. कार्यालय आवास				
13.	क्या अनुरोधित जाति/अनुरोधित जनजाति से संबंधित है				
14.	कोई अन्य संगत सूचना				

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

सं.

उपर्युक्त प्रविष्टियां कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों से सत्यापित कर ली गई हैं और सही पाई गई हैं।

हस्ताक्षर.....

नाम.....

(कार्यालय की मुहर)

प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि करार सहित) आधार पर आवेदन करने वाले आवेदकों के आवेदन के साथ अलग से संलग्न किए जाने वाले अपेक्षित विभिन्न प्रमाणपत्रों का प्रपत्र

सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र

वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की जांच करने के उपरान्त यह प्रमाणित किया जाता है कि डा०/श्री/श्रीमती/सुश्री..... जिन्होंने प्रतिनियुक्ति आधार पर योजना आयोग में वरिष्ठ अनुसंधान सहायक (समाजशास्त्र) [पुनर्पदनामित आर्थिक अधिकारी (समाजशास्त्र)] के पद हेतु आवेदन किया है, की सत्यनिष्ठा में कोई संदेह नहीं है।

(उपसचिव अथवा इससे उच्च स्तर के अधिकारी के हस्ताक्षर)

नाम व कार्यालय मुहर:

दिनांक

सतर्कता निकासी प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि डा०/श्री/श्रीमती/सुश्री..... जिन्होंने प्रतिनियुक्ति आधार पर योजना आयोग में वरिष्ठ अनुसंधान सहायक (समाजशास्त्र) [पुनर्पदनामित आर्थिक अधिकारी (समाजशास्त्र)] के पद हेतु आवेदन किया है, के विरुद्ध कोई अनुशासनिक/आपराधिक कार्रवाई न तो लंबित है अथवा अवेक्षित है।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

नाम व कार्यालय मुहर:

दिनांक:

दण्ड नहीं प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि डा०/श्री/श्रीमती/सुश्री..... जिन्होंने प्रतिनियुक्ति आधार पर योजना आयोग में वरिष्ठ अनुसंधान सहायक (समाजशास्त्र) [पुनर्पदनामित आर्थिक अधिकारी (समाजशास्त्र)] के पद हेतु आवेदन किया है, फे विरुद्ध पिछले दस सालों के दौरान कोई लघु/मुख्य दण्ड नहीं लगाया गया है।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

नाम व कार्यालय मुहर:

दिनांक: